इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 2] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 14 जनवरी 2011—पौष 24, शक 1932

भाग २

स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं

कार्यालय, आयुक्त, इन्दौर संभाग, इन्दौर

इन्दौर, दिनांक 7 सितम्बर 2010

क्र. 633-5-कोर्ट-10.—महापौर, नगरपालिक निगम, इन्दौर के माध्यम से श्री शंकर यादव (शंकरलाल छोटेलाल यादव) अध्यक्ष/सभापति, निगम परिषद्, इन्दौर का त्याग-पत्र नगरपालिक निगम अधिनियम की धारा 23 के अधीन स्वीकृति हेतु इस कार्यालय को प्राप्त हुआ है. मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम की धारा 19(बी)(1)(2) के अधीन श्री शंकर यादव को अध्यक्ष पद से हटाये जाने संबंधी कोई कार्यवाही शासन स्तर पर प्रचलित होने की सूचना नहीं है.

अतएव, नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 23(2) के अधीन त्याग-पत्र की वास्तविकता के बारे में समाधान किये जाने के उपरांत श्री शंकर यादव (शंकरलाल छोटेलाल यादव) का अध्यक्ष/सभापति, निगम परिषद्, इन्दौर के पद से दिया गया त्याग-पत्र स्वीकार किया जाता है.

त्याग-पत्र के कारण हुई आकस्मिक रिक्ति को राजपत्र में अधिसूचित किया जावे. इस आदेश की एक प्रति सर्वसंबंधित को सूचनार्थ अग्रेषित की जावे.

बसन्त प्रताप सिंह, आयुक्त.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित.—2011.